

**दिनांक-25.08.2026 को प्राधिकार बोर्ड की बैठक में रखे जाने वाले सवारी गाड़ी की स्थायी परमिट हेतु प्राप्त आवेदन
कार्यावली संख्या - 01**

प्राधिकार की बैठक दिनांक- 22.07.2026 का लंबित संशोधित समय-सारणी।

क्र० सं०	वाहन सं०/ निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति
1	BR09PA-9737 (30.01.2025) श्री प्रीतम कुमार, पिता-श्री सुदर्शन सहनी, पता-विशनपुर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-07.07.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-MPPY2051 डंडारी प्रखण्ड से खगड़िया डुमरी भाया-बलिया, साहेबपुर कमाल, कुरहा, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, कडुआ मोड़ एवं उसराहा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टेक्स-27.01.27 फिटनेस-29.01.27 बीमा-16.01.27 प्रदूषण-03.02.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री शैलेश कुमार के द्वारा वाहन सं०-BR09PA-9737 मार्ग डंडारी से खगड़िया डुमरी के संशोधित समय-सारणी पर एवं प्राधिकार की सम्पन्न बैठक दि०-22.07.2026 पर लिए गए निर्णय के संबंध में निम्न बातें कही गयी है :- शैलेश कुमार इस प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर वाहन का परिचालन अपने निर्धारित मार्ग पर सवारी की सुविधा हेतु करता हैं। मेरी वाहन मार्ग बेलदौर से खगड़िया पर परिचालित होती है और मेरे मार्ग में बेलदौर से खगड़िया के बीच डुमरी, इसराहा, महेशखूंट, मानसी एवं खगड़िया आता है। श्रीमान वर्ष 2023 में पहली बार प्रखंड से जिला मुख्यालय तक वाहन परिचालन हेतु मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को लाया गया जिसमें लाभुक को प्रति वाहन 05 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करने की व्यवस्था की गयी। पुनः सरकार के द्वारा उसी योजना के तहत वाहन परिचालन के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वाहन सिर्फ प्रखंड से उसी जिला मुख्यालय तक परिचालित होगी। तदनुसार सरकार के द्वारा मार्ग का निर्धारण कर अधिसूचित किया गया है जिसको मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन मार्ग के रूप में धारा 68(3)(Ca) मोटर वाहन अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है। यहाँ यह प्रासंगिक है कि सरकार को मार्ग निर्धारण की शक्ति प्राप्त है परन्तु सरकार को उक्त धारा के अन्तर्गत स्पेशल मार्ग के रूप में किसी मार्ग को अधिसूचित करने की कोई शक्ति नहीं है फिर भी मार्ग का निर्धारण किया गया है और उक्त के अनुरूप परिवहन प्राधिकारों के द्वारा परमिट स्वीकृत किया जा रहा है। पुनः मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बसों के परिचालन मार्गों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय एवं लाभुकों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण सरकार के द्वारा दिनांक-11.12.2024 को पुनः पत्र निर्गत कर परिचालन मार्ग के संबंध में स्पष्ट निर्णय निर्देश दिया गया है जो निम्न है :- (क) लाभुक वाहन का परिचालन अपने प्रखंड से होकर जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक के लिए परिवहन विभाग के अधिसूचित मार्ग का चयन कर परमिट प्राप्त कर सकते हैं। परमिट देते समय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बस का ठहराव उस प्रखंड मुख्यालय में अवश्य हो जहाँ के लिए उक्त योजनान्तर्गत लाभुक का चयन किया गया है। (ख) यदि लाभुक द्वारा कोई नया मार्ग हेतु आवेदन किया जाए तो उनके प्रखंड मुख्यालय से होते हुए जिला मुख्यालय/निकटवर्ती जिला मुख्यालय को जाता हो नया मार्ग को अधिसूचित करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार लाभुक से प्राप्त आवेदन के आधार पर मार्ग निर्धारण कर सहमती हेतु पत्र परिवहन विभाग मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। वर्तमान मामले में आवेदक श्री प्रीतम कुमार ने बेगूसराय जिलान्तर्गत डंडारी प्रखंड से उक्त योजना के तहत एक वाहन सं०-BR09PA-9737 का क्रय किया और सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सब्सिडी के रूप में 5 लाख रूपया प्राप्त किया। उनके द्वारा इस प्राधिकार के समक्ष उक्त वाहन के पक्ष में एक स्थायी परमिट सरकार द्वारा अधिसूचित मार्ग संख्या MPPY डंडारी प्रखंड से खगड़िया, डुमरी भाया-बलिया, साहेबपुर कमाल, कुरहा, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, करुआमोड़ एवं उसराहा पर आवेदन दाखिल किया है। चूँकि प्रथम दृष्टिया वर्तमान मार्ग अपने प्रखंड से अपने जिला मुख्यालय तक नहीं जा रही तो मैंने एवं अन्य वाहन स्वामी ने उक्त के संबंध में अपनी-अपनी आपत्ति दाखिल किया था। बैठक के दौरान मामले की सुनवाई के समय जब इस बात को महोदय के समक्ष रखा गया कि वाहन अपने प्रखंड से जिला मुख्यालय तक नहीं जा रही है जिससे

			सरकार के उक्त योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो बैठक के दौरान ही पुनः परिवहन विभाग के द्वारा पत्रांक-14344, दि०-11.12.2024 को प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया है कि वाहन अपने प्रखंड से या होकर जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक जाएगी, मेरी एवं अन्य वाहन स्वामी की आपत्ति को नहीं सुना गया तथा प्राधिकार के द्वारा निर्धारित ठहराव समय ज्यादा होने के कारण आवेदक को पुनः संशोधित समय-सारणी दाखिल करने का आदेश दिया गया है। परन्तु सरकार के द्वारा वर्ष 2023 एवं उसके बाद पुनः उक्त योजना के तहत क्रय किये गये वाहन के परिचालन मार्ग निर्धारण करने के संबंध में लिए गए दिनांक-11.12.2024 के निर्णय में कही से भी उक्त योजना के तहत प्राप्त की गई वाहन को प्रखंड से या होकर अपने जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक ही जाने का आदेश/निर्देश है, परन्तु उक्त मार्ग निकटवर्ती जिला मुख्यालय से आगे सुदूर देहात के क्षेत्र में जा रही है जो सरकार के उक्त सभी आदेशों/निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। आवेदक सिर्फ अपने जिला मुख्यालय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय तक ही जा सकते हैं यानी की आवेदक या तो अपने प्रखंड से या होकर अपने जिला बेगूसराय या निकटवर्ती जिला मुख्यालय खगड़िया तक ही वाहन का परिचालन कर सकते हैं एवं उसी अनुरूप मार्गों पर परमिट प्राप्त किया जा सकता है और अगर उक्त दोनों बातों को इस मार्ग से पूर्ण नहीं किया जा सकता है तो वाहन स्वामी पुनः मार्ग निर्धारण के लिए प्राधिकार को आवेदन दे सकते हैं जिसे प्राधिकार सरकार के समक्ष मार्ग निर्धारण हेतु उक्त प्रस्ताव को भेज कर मार्ग अधिसूचित करा सकते हैं। उक्त के आलोक में पुनः महोदय से निवेदन है कि इस मामले पर सम्यक विचारोपरांत ही कोई कानूनसम्मत निर्णय लेने की कृपा करें क्योंकि आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन से सरकार के द्वारा निर्धारित कोई शर्त पूर्ण नहीं हो पा रही है और इस प्रकार अगर आवेदक के आवेदन पर विचार कर परमिट स्वीकृति का निर्णय लिया जा सकता है तो वह कानून के विपरीत हो जाएगा। अतः न्यायहित में उक्त परमिट आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या MPPY2051 के तहत डंडारी प्रखण्ड से खगड़िया डुमरी है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या सामान्य है।	
2	BR21G-9504 (28.02.2014) श्री राम शंकर कुमार, पिता-श्री रमाधर सिंह, पता-धरसेमी, बरबीघा, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-07.07.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-282, बेगूसराय से आढामोड। भाया-पिपरा, हथिदाह, बरहिया, विद्यापीठचौक, लखीसराय बाजार समिति, रामगढ़, सिकन्दरा एवं अलीगंज। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.08.26 फिटनेस-20.11.26 बीमा-21.02.27 प्रदूषण-06.09.26	अप्राप्त
3	BR11T-2984 (05.03.2014) श्री अमरजीत कुमार, पिता-श्री सिन्दू कुमार, पता-फतेहपुर, प्रतापपुर, जिला-लखीसराय।	प्रकाशन-07.07.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-282, बेगूसराय से आढामोड। भाया-पिपरा, हथिदाह, बरहिया, विद्यापीठचौक, लखीसराय बाजार समिति, रामगढ़, सिकन्दरा एवं अलीगंज। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-02.09.26 फिटनेस-10.12.26 बीमा-18.02.27 प्रदूषण-07.08.26	अप्राप्त

4	BR09PA-9009 (25.06.2019) श्री आशीष कुमार रंजन, पिता-श्री विजय सिंह, पता-पंहाज, सुहिद्वनगर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-07.07.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169 डाउन, बेगूसराय से अगुवानी। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखुंट, जमालपुर, मरैया, परबत्ता, नयागाँव एवं कबैला। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-24.09.26 फिटनेश-17.12.27 बीमा-22.05.27 प्रदूषण-04.12.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री बुलबुल कुमार सिंह, वाहन सं0-BR10PB-9302 का कहना है कि आवेदनकर्ता का वाहन सं0-BR09PA-9009 का मार्ग संख्या 3169 डाउन बेगूसराय से अगुवानी घाट पर समय-सारणी का प्रकाशन हुआ है। उसमें मार्ग की दूरी कितना किमी0 है, टोटल दूरी कितना किमी0 है एवं एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाने में कितना समय लेगा एवं कितना किमी0 की दूरी है वह नहीं दर्शाया गया है। कबैला और नयागाँव में नन स्टॉप लिखा गया है जो कि पीछले माह 22.07.2026 की बैठक में निर्णय लिया गया है कि नन स्टॉप नहीं लिखा जायेगा (i) गतिसीमा का उल्लंघन है। कबैला से अगुवानी घाट की दूरी 12 किमी0 है जो कि 05 मिनट में तय करते हैं। कबैला से अगुवानी घाट की दूरी भी नहीं दर्शाया गया है। (ii) मैं अपने वाहन सं0-BR10PB-9302 का अगुवानी से प्रस्ताव समय 10:10 दिए हैं और इनका भी समय अगुवानी घाट से 10:10 है। इन्होंने गतिसीमा का उल्लंघन करते हुए यह समय-सारणी का प्रकाशन किए हैं। इनके आवेदन को रद्द करने की कृपा की जाय। साक्ष्य संलग्न है। मेरा आवेदन सं0-39 है। इनका आवेदन सं0-56 है। वरीयता के अनुसार क्रम सं0 में आगे हैं। इनको पहले एक मौका दिया गया है। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3169 डाउन बेगूसराय से अगुवानी है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है।
5	BR09H-4633 (04.04.2011)/ BR09PA-3942 (07.08.2019) श्री मुक्ति नाथ, पिता-स्व0 रामचन्द्र सिंह, पता-लोहियानगर, सुहिद्वनगर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-10.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखुंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-03.07.27 फिटनेश-23.05.27 बीमा-18.07.26 प्रदूषण-08.05.27 / टैक्स-18.07.26 फिटनेश-30.07.27 बीमा-26.10.26 प्रदूषण-21.12.26	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्रीमती रूपम कुमारी, वाहन सं0-BR09PB-0978 का कहना है कि वाहन सं0-BR09PA-3942 बस के संशोधित समय-सारणी का मार्ग अगुवानी से बेगूसराय पर प्रकाशन दिनांक-10.08.2026, पत्रांक-407 के द्वारा किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के प्रकाशन में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व से वाहन सं0-BR09H-4633 का परमिट प्राप्त है तो संशोधित समय-सारणी का प्रकाशन भी उसी वाहन का किया जाना है। लेकिन वाहन स्वामी के द्वारा वाहन सं0-BR09PA-3942 का समय-सारणी एवं कागजात कार्यालय में जमा किया गया है। अतएव वाहन सं0-BR09PA-3942 के ही समय-सारणी का प्रकाशन कर दिया गया है जो विधिवत वैध नहीं है। 1. वाहन सं0-BR09PA-3942 परमिट से प्राप्त वाहन नहीं है। परमिट से प्राप्त वाहन सं0-BR09H-4633 है जो बिना प्रतिस्थापन किये वाहन सं0-BR09PA-3942 का प्रकाशन किया जाना विधिवत वैध नहीं है। 2. साथ ही साथ परमिट से प्राप्त वाहन सं0-BR09H-4633 जो 15 वर्ष से ज्यादा पुरानी वाहन है एवं इनका परमिट भी दिनांक-25.08.2026 तक ही वैध है। साथ ही साथ बिना परमिट से प्राप्त वाहन सं0-BR09PA-3942 का संशोधन शुल्क प्रति पड़ाव 4,000/- (चार हजार रुपये) है जो प्राधिकार का निर्णय है। संशोधन शुल्क भी जमा नहीं किया गया है। वाहन स्वामी के द्वारा संशोधित समय-सारणी प्रकाशन का शुल्क जमा नहीं किया गया है तो कार्यालय के द्वारा वैसे आवेदन पर विचार भी नहीं किया जाना है। 3. साथ ही साथ बिना परमिट के वाहन सं0-BR09PA-3942 का प्रकाशन में गतिसीमा का भी उल्लंघन है जैसे मड़ैया प्रस्थान 17:18 एवं परबत्ता आगमन 17:45 अर्थात् 07 मिनट में 08 किमी0 की दूरी तय करने का प्रस्ताव दिया गया है जो गतिसीमा का उल्लंघन है एवं ग्रामीण सड़क है। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं0-BR09PA-3942 के संशोधित समय-सारणी का प्रकाशन विधिवत वैध नहीं है। अतएव इनके संशोधित समय-सारणी को अस्वीकृत करते हुए वाहन सं0-BR09H-4633 के परमिट को निरस्त किया जाय। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री बुलबुल कुमार सिंह, वाहन सं0-BR10PB-9094 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा वाहन सं0-BR09PA-3942 का संशोधित समय-सारणी का प्रकाशन मार्ग अगुवानी से बेगूसराय पर किया गया है, जिसमें निम्न आपत्ति है :-

			(i) वाहन सं०-BR09PA-3942 (AC Sleeper Bus) है, लेकिन इसका निबंधन साधारण श्रेणी के बस में 55 सीट में किया गया है जबकि गाड़ी का व्हील बेस 6200 MM है। गाड़ी का भौतिक सत्यापन जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक बेगूसराय से संयुक्त रूप में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव की अध्यक्षता में किया जाय। (ii) वाहन सं०-BR09PA-3942 (AC Sleeper Bus) है एवं वाहन स्पेयर है। स्पेयर बस का संशोधित समय-सारणी का प्रकाशन कैसे किया जा सकता है। क्योंकि बस सं०-BR09PA-3942 परमिट से आवृत्त वाहन ही नहीं है। (iii) साथ ही साथ परमिट से आवृत्त वाहन सं०-BR09H-4633 जो दिनांक-03.04.2026 को 15 वर्ष पुरा कर चुकी है एवं परमिट की वैधता दिनांक-25.08.2026 को समाप्त हो रही है। बिना प्रतिस्थापन किये वाहन सं०-BR09PA-3942 के संशोधित समय-सारणी का प्रकाशन किया जाना विधिवत् वैध नहीं है। (iv) साथ ही प्राधिकार के निर्णय मुताबिक प्रति समय-सारणी के संशोधन में प्रति पड़ाव 4,000/- (चार हजार रुपये) की दर से शुल्क जमा किया जाना है जो वाहन स्वामी की वाहन का विलम्ब शुल्क जमा किये बिना परमिट प्राप्त वाहन सं०-BR09PA-3942 (AC Sleeper Bus) का प्रकाशन किस परिस्थिति में किया गया है जो विधिवत् वैध नहीं है। (v) साथ ही साथ वाहन सं०-BR09PA-3942 (AC Sleeper Bus) जो स्पेयर बस के समय-सारणी में गतिसीमा का भी उल्लंघन है। मड़ैया से परबत्ता की दूरी 08 किमी० दर्शाया गया है एवं 07 मिनट में दूरी तय करती है जो ग्रामीण सड़क है। मड़ैया प्रस्थान 17:38 परबत्ता आगमन 17:45 अर्थात् 08 किमी० की दूरी 07 मिनट में तय करते हैं। (vi) (AC Sleeper Bus) की लं० 40 से 45 फीट चौ०-10 से 11 फीट है। अगुवानी से कबेला तक (जोड़ाबरपुर बॉध) है। बॉध होते हुए आवेदन दिए हैं। वाहन का जिस पर छोटी गाड़ी को चलने में दिक्कती आती है तो Sleeper Bus कैसे चलेगी। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वाहन सं०-BR09PA-3942 (AC Sleeper Bus) जो संशोधित शुल्क भी जमा नहीं किया गया है तथा मुल गाड़ी की परमिट भी दिनांक-25.08.2026 को समाप्त हो रही है। ऐसी परिस्थिति में इनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व से निर्गत वाहन सं०-BR09H-4633 के परमिट को निरस्त किया जाय। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3169 डाउन बेगूसराय से अगुवानी है तथा प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है।
--	--	--	--

कार्यावली संख्या - 02

(स्थायी परमिट)

आपत्ति प्राप्त एवं अप्राप्त नया आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति
6	BR09H-9431 (19.02.2010) श्री राज किशोर राय, पिता-श्री कुशो राय, पता-मटिहानी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3189, अजनी से बेगूसराय। भाया-गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-18.08.26 फिटनेस-29.07.27 बीमा-06.12.26 प्रदूषण-21.07.27	अप्राप्त

7	BR46P-6848 (21.03.2018) श्री मुनी लाल साह, पिता-स्व0 जानकी साह, पता-महिसौड़ी चौक, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मल्लेपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया-महिसौड़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-17.05.27 फिटनेश-31.03.27 बीमा-09.05.27 प्रदूषण-27.03.27	➤ आपत्तिकर्ता मो0 एजाज अहमद, वाहन सं0-BR10W-6494 का कहना है कि आवेदनकर्ता सिकन्दरा में 08:39 में आगमन कर 08:44 में प्रस्थान करते हैं। आपत्तिकर्ता सिकन्दरा में 08:25 आगमन कर 08:47 में प्रस्थान कर रहे हैं। सिकन्दरा में आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता के वाहन से पीछे आगमन कर 03 मिनट पहले प्रस्थान कर जाते हैं। सिकन्दरा में आवेदनकर्ता 13:27 में आगमन कर 13:32 में प्रस्थान कर जाते हैं। आपत्तिकर्ता सिकन्दरा 13:20 में आगमन कर 13:38 में प्रस्थान कर जाते हैं। आवेदनकर्ता सिकन्दरा में आपत्तिकर्ता के वाहन के पीछे आगमन कर 06 मिनट पहले प्रस्थान कर जाते हैं। इस प्रकार आवेदनकर्ता ओवरटेक कर वाहन का परिचालन करने का समय-सारणी दिये हैं। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार ओवरटेक वाहन के समय-सारणी के परमिट को अस्वीकार करने की कृपा करें। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मल्लेपुर स्टेशन से आढ़ा है।
8	BR21PA-2048 (03.07.2026) श्री हिमांशु कुमार बदश, पिता-अरविन्द कुमार सिंह, पता-सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स-28.09.26 फिटनेश-02.07.28 बीमा-29.07.27 प्रदूषण-02.07.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री अरुण कुमार, वाहन सं0-BR21H-3071 का कहना है कि आवेदनकर्ता पहली पाली में बेगूसराय से 15:45 में खुलकर सरमेरा में ओवरटेक कर लिया है। आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र0 03:45 03:35 मोकामा प्र0 04:30 04:20 सरमेरा प्र0 04:56 04:57 जो कि प्राधिकार के नियम के विरुद्ध है। पूर्ववती वाहन के पीछे रहना है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है।
9	BR21P-4704 (02.02.2019) श्रीमती नीलम देवी, पति-श्री प्रशांत कुमार, पता-इसुआ, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स-01.11.26 फिटनेश-03.08.28 बीमा-29.11.26 प्रदूषण-01.08.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री आशीष आनंद, वाहन सं0-BR01PT-3099 द्वारा एक अनुरोध पत्र कार्यालय में समर्पित कर उल्लेख किया गया है कि आवेदनकर्ता प्राधिकार की बैठक में अपना परमिट आवेदन वापस ले लिया था क्योंकि ये वाहन परमिट से आवृत्त था। आवेदनकर्ता का वाहन परमिट से आवृत्त है। इसका परमिट बिहारशरीफ से बरबीघा मार्ग पर है और ये परमिट प्रत्यपण किये बिना फिर से आवेदन किये हैं। प्राधिकार की बैठक दिनांक-22.07.2026 में आवेदित परमिट का आवेदन वापस कर लिया था। इसका आवेदन शुल्क भी जाँच किया जाय। इस आवेदनकर्ता ने नया आवेदन किया है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है।
10	BR27-7486 (14.05.2009) श्री संजय कुमार सिंह, पिता-श्री अम्बिका सिंह, पता-महरथ, पोस्ट-वाजिदपुर थाना-काशीचक जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-1524 डाउन, बरबीघा से वार्सलीगंज। भाया-शेखोपुर एवं शाहपुर मोड़। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-31.10.26 फिटनेश-11.12.26 बीमा-12.08.26 प्रदूषण-02.02.27	अप्राप्त
11	BR52P-0959 (16.01.2020) श्री सर्वजीत कुमार, पिता-श्री अनिल प्रसाद सिंह, पता-रामपुर सिंडिये, बरबीघा, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-18.08.26 फिटनेश-29.07.28 बीमा-20.07.27 प्रदूषण-20.07.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री अरुण कुमार, वाहन सं0-BR21H-3071 का कहना है कि आवेदनकर्ता सप्तमी पाली में बेगूसराय से मेरे पीछे 01 मिनट खुलकर मोकामा में एक समय-सारणी होकर सरमेरा में ओवरटेक कर लिया है। आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र0 16:31 16:30 हथिदाह प्र0 17:04 17:02 मोकामा प्र0 17:18 17:18 सरमेरा प्र0 17:45 17:55 जो कि प्राधिकार के नियम के विरुद्ध है। ये गाड़ी दूसरे नम्बर प्लेट से परिचालन करवाया जाता है। इसकी जाँच करवाया जाय। ये परमिट से आवृत्त वाहन है। इसका परमिट अभी प्रत्यापण नहीं हुआ है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है।

12	BR21P-2524 (29.11.2015) श्रीमती नीलम देवी, पति-श्री प्रशांत कुमार, पता-इसुआडीह, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-27.08.26 फिटनेश-04.08.27 बीमा-29.07.27 प्रदूषण-30.07.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री अरुण कुमार, वाहन सं0-BR21K-1811 द्वारा एक अनुरोध पत्र कार्यालय में समर्पित कर उल्लेख किया गया है कि आवेदनकर्ता का वाहन सं0-BR21P-2524 और वाहन सं0-BR01PP-9783 का परिचालन दूसरे मार्ग पर होता है जबकि वाहन सं0-BR01PP-9783 का परमिट आपके प्राधिकार महुली से बिहारशरीफ पर निर्गत है और इसका परिचालन बिहारशरीफ से बेगूसराय और अन्य मार्ग पर होता है। ये प्राधिकार के नियम के विरुद्ध है। इस पर अर्थदण्ड लगाया जाय। वाहन सं0-BR21P-2524 परमिट से आवृत्त है और इसके बावजूद आपके प्राधिकार में आवेदित किया गया है जो प्राधिकार के नियम के विरुद्ध है और इस दोनों गाड़ी का VLTD से जाँच करवाया जाय। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है।
13	BR01PP-9783 (28.04.2023) श्री महेश पासवान, पिता-श्री विशेश्वर पासवान, पता-इसुआ, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-28.09.26 फिटनेश-05.05.27 बीमा-05.04.27 प्रदूषण-01.08.27	अप्राप्त
14	BR08P-5758 (31.08.2025) श्री रंजीत कुमार पिता-श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, बभनगामा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.08.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.26 प्रदूषण-30.08.26	अप्राप्त
15	BR08P-5751 (31.08.2025) श्रीमती कुमकुम देवी, पति-श्री अजीत कुमार, पता-पहसारा, बभनगामा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.08.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.26 प्रदूषण-30.08.26	अप्राप्त
16	BR01PR-8229 (14.02.2025) श्री महेश पासवान, पिता-श्री विशेश्वर पासवान, पता-इसुआ, ससौर, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-29.10.26 फिटनेश-13.02.27 बीमा-03.02.27 प्रदूषण-14.02.27	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री अरुण कुमार, वाहन सं0-BR21H-3071 का कहना है कि आवेदनकर्ता के वाहन सं0-BR01PR-8229 के पंचम पाली में बेगूसराय से हमसे 05 मिनट पीछे खुलकर मोकामा से सरमेरा जाने में ओवरटेक कर लिया गया। समय-सारणी होकर सरमेरा में ओवरटेक कर लिया है। पंचम पाली आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र0 11:35 11:30 हथिदाह प्र0 12:06 12:02 मोकामा प्र0 12:21 12:18 सरमेरा प्र0 12:54 12:55 इसका परिचालन दूसरे मार्ग पर होता है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि इस आवेदन और गाड़ी का जाँच कर खारिज किया जाय। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री अरुण कुमार, वाहन सं0-BR21K-1811 का कहना है कि आवेदनकर्ता का वाहन सं0-BR01PR-8229 चतुर्थ पाली में बरबीघा से 10:00 हमसे पीछे खुलकर सरमेरा और मोकामा से हथिदाह जाने के क्रम में ओवरटेक कर लिया जो कि प्राधिकार के नियम के विरुद्ध है। ये गाड़ी का परमिट आपके प्राधिकार से महुली से बिहारशरीफ पर निर्गत है और इसका परिचालन सरमेरा से बिहार शरीफ पर हो रही है। इसका VLTD से जाँच करवाया जाय। चतुर्थ पाली में आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के समय-सारणी से निम्न

				टकराव है :- <table><tr><th>चतुर्थ पाली</th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>बरबीघा प्र०</td><td>10:00</td><td>09:52</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>10:17</td><td>10:12</td></tr><tr><td>मोकामा प्र०</td><td>10:44</td><td>10:47</td></tr><tr><td>हथिदाह प्र०</td><td>10:59</td><td>11:01</td></tr></table> अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि इस आवेदन और गाड़ी का जॉच कर खारिज किया जाय। आवेदनकर्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है।	चतुर्थ पाली	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बरबीघा प्र०	10:00	09:52	सरमेरा प्र०	10:17	10:12	मोकामा प्र०	10:44	10:47	हथिदाह प्र०	10:59	11:01
चतुर्थ पाली	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																	
बरबीघा प्र०	10:00	09:52																	
सरमेरा प्र०	10:17	10:12																	
मोकामा प्र०	10:44	10:47																	
हथिदाह प्र०	10:59	11:01																	
17	BR08P-5750 (31.08.2025) श्रीमती कुमकुम देवी, पति-श्री अजीत कुमार, पता-पहसारा, बभनगामा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.08.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.26 प्रदूषण-30.08.26	अप्राप्त															
18	BR09PA-9165 (04.06.2024) श्री अजीत कुमार, पिता- श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.09.26 फिटनेश-17.06.28 बीमा-17.05.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त															
19	BR01PD-9122 (12.10.2012) श्री रिषव पराशर, पिता-श्री रमानुग्रह सिंह, पता-खोजा, गाछी, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3032, बरबीघा से मुंगेर। भाया-शेखपुरा, लखीसराय एवं सूर्यगढ़ा। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-11.10.26 फिटनेश-17.03.27 बीमा-09.03.27 प्रदूषण-05.03.27	अप्राप्त															
20	BR21P-4811 (13.08.2018) श्री जय राम प्रसाद, पिता-श्री दीपनारायण यादव, पता-हुसेना, सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3234, महुली से रामचन्द्रपुर बिहारशरीफ। भाया-शिखापुरा एवं बरबीघा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-12.08.26 फिटनेश-29.01.27 बीमा-09.03.27 प्रदूषण-15.03.27	अप्राप्त															
21	BR08P-5754 (31.08.2025) श्रीमती सुनीता देवी, श्री सुधीर कुमार पता-पहसारा, बभनगामा, नौवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागोव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-27.08.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.26 प्रदूषण-30.08.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री पिकेश कुमार सिंह, वाहन सं०-BR34P-7883 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा जान बूझकर हमारे परिचालित गाड़ी सं०-BR34P-7883 के आगे कबेला से 01 मिनट आगे-आगे बेगूसराय तक आवेदन किए हैं। क्योंकि मार्ग संख्या भिन्न रहने के कारण जिसका गलत फायदा लेना चाहते हैं। जबकि मार्ग पर हर पड़ाव सेम है। महोदय मेरे पास मात्र चार गाड़ी है जिससे कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। और नई गाड़ी है जिसका हर महिना किस्त भी जमा करना पड़ता है। आवेदनकर्ता के पास 100 से ज्यादा न्यायरथ के बैनर तले गाड़ी परिचालित होता है। इनका मंशा रहता है कि कोई छोटे वाहन स्वामी इस मार्ग पर गाड़ी का परिचालन नहीं करे। इसलिए परिचालित गाड़ी के 01 मिनट आगे का समय-सारणी किए हैं कि इनका गाड़ी बंद हो जाए और मेरा इस मार्ग पर एकक्षत्र राज कायम रहे। न्यायरथ के ही दूसरे वाहन सं०-BR08P-5750 वाहन स्वामी श्रीमती कुमकुम देवी जो कि बेगूसराय से भागलपुर मार्ग पर आवेदन किए हैं। मेरे इसी वाहन का तृतीय पाली में महेशखूंट से बेगूसराय तक एक 01 मिनट आगे 02 मिनट आगे क समय-सारणी किए हैं। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता के समय-सारणी में निम्न															

				टकराव है :- <table><thead><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr></thead><tbody><tr><td>कबेला प्र०</td><td>05:02</td><td>05:04</td></tr><tr><td>नयागाँव प्र०</td><td>05:18</td><td>05:19</td></tr><tr><td>परबत्ता प्र०</td><td>05:43</td><td>05:44</td></tr><tr><td>मड़ेया प्र०</td><td>06:03</td><td>06:04</td></tr><tr><td>जमालपुर प्र०</td><td>06:23</td><td>06:24</td></tr><tr><td>महेशखूंट प्र०</td><td>06:52</td><td>06:53</td></tr><tr><td>मानसी प्र०</td><td>07:11</td><td>07:13</td></tr><tr><td>खगड़िया प्र०</td><td>07:25</td><td>07:26</td></tr><tr><td>बलिया प्र०</td><td>08:05</td><td>08:06</td></tr></tbody></table> आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है।		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	कबेला प्र०	05:02	05:04	नयागाँव प्र०	05:18	05:19	परबत्ता प्र०	05:43	05:44	मड़ेया प्र०	06:03	06:04	जमालपुर प्र०	06:23	06:24	महेशखूंट प्र०	06:52	06:53	मानसी प्र०	07:11	07:13	खगड़िया प्र०	07:25	07:26	बलिया प्र०	08:05	08:06
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																																
कबेला प्र०	05:02	05:04																																
नयागाँव प्र०	05:18	05:19																																
परबत्ता प्र०	05:43	05:44																																
मड़ेया प्र०	06:03	06:04																																
जमालपुर प्र०	06:23	06:24																																
महेशखूंट प्र०	06:52	06:53																																
मानसी प्र०	07:11	07:13																																
खगड़िया प्र०	07:25	07:26																																
बलिया प्र०	08:05	08:06																																
22	BR09PB-0973 (17.03.2026) श्रीमती बुलबुल देवी, पति-श्री बिनीत कुमार, पता-पहसारा, बभनगामा, नौकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200, बेगूसराय से भागलपुर। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-12.09.26 फिटनेस-16.03.28 बीमा-12.03.27 प्रदूषण-16.03.27	अप्राप्त																														
23	BR09PA-9543 (04.12.2024) श्रीमती रूपम कुमारी, पति-अमरजीत कुमार, पता-पहसारा, बभनगामा, नौकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रेस्टे०। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-01.12.25 फिटनेस-03.12.26 बीमा-03.12.25 प्रदूषण-03.12.25	➤ आपत्तिकर्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं०-BR09M-6809 का कहना है कि आवेदनकर्ता पूर्व का परमिट को सरेन्डर किये बिना आवेदन किये हैं। आवेदनकर्ता के वाहन पर पूर्व से बांका से बेगूसराय मार्ग पर परमिट निर्गत है। आवेदनकर्ता प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन कर आवेदन किये हैं। इस तथ्य का उल्लेख प्राधिकार द्वारा निर्गत आवेदन के नोटिस में उल्लेखित है जिसका वर्णन कंडिका 21 में किया गया है। पूर्व के परमिट को निरस्त करते हुए वर्तमान परमिट आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है।																														
24	BR53A-5165 (25.02.2013) श्री राजीव कुमार, पिता-श्री राम निरंजन प्रसाद सिंह, पता-हसनपुर, जिला-लखीसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-191, लखीसराय विद्यापीठ चौक से अलीगंज। भाया-लखीसराय लालू बस पड़ाव, सिकन्दरा बस स्टैण्ड, रामगढ़ चौक, हलसी एवं सिकन्दरा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-24.08.26 फिटनेस-04.08.27 बीमा-02.07.27 प्रदूषण-03.08.27	➤ आपत्तिकर्ता श्रीमती पुष्पा देवी, वाहन सं०-BR46P-7765 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><thead><tr><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr></thead><tbody><tr><td>सिकन्दरा प्र०</td><td>16:54 16:56</td></tr></tbody></table> सिकन्दरा प्रस्थान मुख्य बिन्दु पर दोनों वाहन के समय-सारणी में 02 मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्ता के वाहन सं०-JH18A-4721, BR21C-7411, BR27B-6558 का टैक्स, बीमा एवं फिटनेस वैध नहीं है। आवेदनकर्ता उपरोक्त तीनों वाहन का परिचालन बिना कागजात के कर रहे हैं। आवेदनकर्ता टैक्स डिफाल्टर है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्ता के वाहन के परमिट को अस्वीकार करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता के टैक्स बकाया का कागजात आपत्ति के साथ संलग्न है। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 191 लखीसराय विद्यापीठ चौक से अलीगंज है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3229 डाउन सिकन्दर से लखीसराय है।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	सिकन्दरा प्र०	16:54 16:56																										
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																																	
सिकन्दरा प्र०	16:54 16:56																																	
25	BR21H-3071 (07.10.2012) श्री अरुण कुमार, पिता-श्री माराकंड प्रसाद सिंह, पता-सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-06.10.26 फिटनेस-02.08.27 बीमा-24.07.27 प्रदूषण-30.07.27	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री हिमांशु कुमार वत्स, वाहन सं०-BR21PA-2048 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><thead><tr><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr></thead><tbody><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>04:57 04:56</td></tr></tbody></table> सरमेरा में दोनों वाहन के समय-सारणी में 01 मिनट का अन्तराल है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं०-BR01PP-9783 का कहना है कि आवेदनकर्ता आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	सरमेरा प्र०	04:57 04:56																										
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																																	
सरमेरा प्र०	04:57 04:56																																	

				समय-सारणी से मेरे वाहन के प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>बरबीघा प्र०</td><td>05:40</td><td>05:38</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>06:00</td><td>05:58</td></tr><tr><td>बेगूसराय प्र०</td><td>07:30</td><td>07:30</td></tr><tr><td>बरबीघा प्र०</td><td>09:20</td><td>09:21</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>09:40</td><td>09:38</td></tr></table> मुख्य बिन्दु पर 02 मिनट तथा Same समय-सारणी है तथा अन्य बिन्दु पर 02 मिनट का अन्तराल है। उपरोक्त वर्णित वाहन का परमिट S.T.A. से नारदीगंज से मुंगेर 2014 में प्राप्त कर वाहन का परिचालन निर्धारित मार्ग पर नहीं करके सरमेरा से मोकामा प्रत्येक दिन वाहन का परिचालन कर रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद वाहन का परिचालन वाहन स्वामी द्वारा बिना परमिट के वाहन का परिचालन कर रहे हैं। वाहन स्वामी के वाहन सं०-BR21GA-9719 पर टैक्स बकाया है। BHY-9421, BR21B-9541 पर टैक्स बकाया है। आवेदनकर्ता का आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। ➤ तृतीय आपत्तिकर्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं०-BR01PR-8229 का कहना है कि आवेदनकर्ता आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>12:55</td><td>12:54</td></tr></table> सरमेरा में दोनों वाहन के समय-सारणी 01 मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्ता, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है।		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	बरबीघा प्र०	05:40	05:38	सरमेरा प्र०	06:00	05:58	बेगूसराय प्र०	07:30	07:30	बरबीघा प्र०	09:20	09:21	सरमेरा प्र०	09:40	09:38		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	सरमेरा प्र०	12:55	12:54
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																										
बरबीघा प्र०	05:40	05:38																										
सरमेरा प्र०	06:00	05:58																										
बेगूसराय प्र०	07:30	07:30																										
बरबीघा प्र०	09:20	09:21																										
सरमेरा प्र०	09:40	09:38																										
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																										
सरमेरा प्र०	12:55	12:54																										
26	BR11J-9198 (31.07.2010) श्री प्रिस, पिता-श्री भागीरथ सिंह, पता-बड़ी पोखर, पुरानी बाजार, जिला-लखीसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3229, लखीसराय से सिकन्दरा। भाया-रामगढ़ एवं हलसी। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-29.10.26 फिटनेश-05.01.27 बीमा-16.12.26 प्रदूषण-17.12.26	अप्राप्त																								
27	BR21K-1811 (29.09.2014) श्री अरुण कुमार, पिता-श्री माराकाण्डे सिंह, पता-सरमेरा, जिला-नालंदा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-25.09.26 फिटनेश-05.03.27 बीमा-25.02.27 प्रदूषण-29.11.26	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्रीमती नीलम देवी, वाहन सं०-BR21P-4704 का कहना है कि आवेदनकर्ता आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>हथिदाह प्र०</td><td>07:29</td><td>07:30</td></tr><tr><td>बेगूसराय प्र०</td><td>11:51</td><td>11:50</td></tr><tr><td>सरमेरा प्र०</td><td>13:12</td><td>13:14</td></tr></table> बेगूसराय मुख्य बिन्दु पर 01 मिनट, मध्य बिन्दु सरमेरा में 02 मिनट तथा हथिदाह में 01 मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्ता के वाहन का परमिट S.T.A. से पटना से पकड़ीवर्मा 26.06.2015 को प्राप्त कर सरमेरा से मोकामा में वाहन का परिचालन करते थे वाहन का परिचालन 2020 से बिना परमिट के कर रहे हैं। आवेदनकर्ता के वाहन सं०-BR21GA-9719, BHY-9421 एवं BR21B-9541 तीनों वाहन पर टैक्स बकाया है। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री महेश पासवान, वाहन सं०-BR01PR-8229 का कहना है कि आवेदनकर्ता आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr><tr><td>हथिदाह प्र०</td><td>11:01</td><td>10:59</td></tr></table> हथिदाह में दोनों वाहन के समय-सारणी 01 मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	हथिदाह प्र०	07:29	07:30	बेगूसराय प्र०	11:51	11:50	सरमेरा प्र०	13:12	13:14		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	हथिदाह प्र०	11:01	10:59						
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																										
हथिदाह प्र०	07:29	07:30																										
बेगूसराय प्र०	11:51	11:50																										
सरमेरा प्र०	13:12	13:14																										
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																										
हथिदाह प्र०	11:01	10:59																										

				बेगूसराय से बरबीघा है।														
28	BR09PA-7093 (13.03.2017) श्री मुक्ति नाथ, पिता-श्री राम चन्द्र सिंह, पता-लोहियानगर, सुहिद्र नगर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169 डाउन, बेगूसराय से अगुवानी। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, जमालपुर, मरैया, परबत्ता, नयागाँव एवं कबैला। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टेक्स-24.08.26 फिटनेश-07.05.27 बीमा-30.03.27 प्रदूषण-05.08.26	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री आशीष कुमार रंजन, वाहन सं0-BR09GB-9009 का कहना है कि आवेदनकर्ता बेगूसराय से अगुवानी पर आवेदन किए हैं। बेगूसराय से अगुवानी की दूरी आवेदनकर्ता 89 किमी0 उल्लेख किये हैं। बेगूसराय से अगुवानी की दूरी 107 किमी0 है। आवेदनकर्ता का वाहन ट्रिस्ट वाहन है। आवेदनकर्ता मार्ग में आवेदन किये हैं। आवेदनकर्ता का आवेदन खारिज करने की कृपा की जा। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री बुलबुल कुमार सिंह वाहन सं0-BR10PB-9301 का कहना है कि आवेदनकर्ता श्री मुक्ति नाथ ने अपनी वाहन सं0-BR09PA-7093 का आवेदन बेगूसराय से अगुवानी पर जो समय-सारणी की प्रकाशन हुई है उसमें मार्ग की दूरी 89 किमी0 आवेदन में लिखे हैं और आवेदन में एक स्टॉप से दूसरे स्टॉपेज की कुल दूरी को जोड़ने के बाद 103 किमी0 होती है। एक ट्रिप में इन्होंने 04 ट्रिप की कुल दूरी 356 किमी0 लिखे हैं। जबकि इनके ही आवेदन के अनुसार 04 ट्रिप में 412 किमी0 होती है तो इनके आवेदन में मार्ग की दूरी एवं मार्ग की कुल 04 ट्रिप की दूरी में अन्तर होने के कारण इनके आवेदन को रद्द करने की कृपा की जाय। साक्ष्य आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3169 डाउन बेगूसराय से अगुवानी है, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है।														
29	BR09PB-0842 (11.02.2026) श्री ब्रजेश कुमार, पिता-श्री फुलेना सिंह, पता-कोराय, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3105, कुशेश्वर स्थान से बेगूसराय। भाया-हसनपुर, गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टेक्स-10.05.27 फिटनेश-10.02.28 बीमा-08.02.27 प्रदूषण-10.02.27	➤ प्रथम आपत्तिकर्ता श्री राज किशोर राय, वाहन सं0-BR09H-9431 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के प्रस्तावित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>मंझौल प्र0</td><td>16:48 16:50</td></tr><tr><td>गढ़पुरा प्र0</td><td>17:28 17:28</td></tr></table> गढ़पुरा में दोनों वाहन का समय-सारणी Same है। मंझौल से गढ़पुरा 15 किमी0 की दूरी आवेदनकर्ता 40 मिनट में तय कर रहे हैं। आवेदनकर्ता परेशान करने की नियत से इस प्रकार का समय-सारणी दिये हैं। ➤ द्वितीय आपत्तिकर्ता श्री राज किशोर राय, वाहन सं0-BR09PA-1034 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी से मेरे वाहन के निर्गत परमिट के समय-सारणी से निम्न टकराव है :- <table><tr><td>आवेदनकर्ता</td><td>आपत्तिकर्ता</td></tr><tr><td>हसनपुर प्र0</td><td>07:29 07:30</td></tr><tr><td>मंझौल प्र0</td><td>09:08 09:07</td></tr><tr><td>गढ़पुरा प्र0</td><td>08:19 08:15</td></tr></table> उपरोक्त बिन्दु पर दोनों वाहन के समय-सारणी में टकराव है। आवेदनकर्ता हसनपुर से 07:29 में प्रस्थान कर गढ़पुरा 08:14 में आगमन करते हैं। हसनपुर से गढ़पुरा आवेदनकर्ता 11 किमी0 की दूरी 44 मिनट में तय करते हैं। आवेदनकर्ता मेरे निर्गत परमिट के 01 मिनट पहले का समय-सारणी दिये हैं। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3105 कुशेश्वर स्थान से बेगूसराय है, प्रथम आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3189 अजनी से बेगूसराय है तथा द्वितीय आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3107 डाउन बेगूसराय से हसनपुर है।	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	मंझौल प्र0	16:48 16:50	गढ़पुरा प्र0	17:28 17:28	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	हसनपुर प्र0	07:29 07:30	मंझौल प्र0	09:08 09:07	गढ़पुरा प्र0	08:19 08:15
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																	
मंझौल प्र0	16:48 16:50																	
गढ़पुरा प्र0	17:28 17:28																	
आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																	
हसनपुर प्र0	07:29 07:30																	
मंझौल प्र0	09:08 09:07																	
गढ़पुरा प्र0	08:19 08:15																	
30	BR06PA-3222 (05.08.2010) श्री ब्रजेश कुमार, पिता-श्री फुलेना सिंह, पता-कोराय, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3189, अजनी से बेगूसराय। भाया-गढ़पुरा एवं मंझौल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टेक्स-04.11.26 फिटनेश-21.01.27 बीमा-31.10.26 प्रदूषण-08.10.26	अप्राप्त														

31	BR9F-6189 (31.07.2009) श्री राजीव कुमार रंजन, पिता-श्री रविन्द्र सिंह, पता-रजौरा, मु0, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3109, सिहम से बेगूसराय। भाया-कचहरी रामपुर, बख्खडडा, नारायण पिपर, कुम्भी, श्रीपुर, चेरिया, बरियारपुर एवं मंझौल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-22.08.26 फिटनेश-04.08.27 बीमा-08.06.27 प्रदूषण-08.03.27	➤ आवेदनकर्ता द्वारा अपना परमिट आवेदन वापस ले लिया गया है।
32	BR09PA-9159 (06.06.2024) श्री बिनीत कुमार पिता-श्री रामनंदन सिंह पता-पहसारा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-05.09.26 फिटनेश-16.06.28 बीमा-16.05.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त
33	BR09PA-9163 (06.06.2024) श्रीमती सुनीता देवी पति-श्री सुधीर कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3170, कबेला से बेगूसराय। भाया-नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-05.09.26 फिटनेश-17.06.28 बीमा-24.05.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त
34	BR09PA-9608 (04.12.2024) श्री रंजीत कुमार, पिता-श्री रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-01.09.26 फिटनेश-03.12.26 बीमा-03.12.26 प्रदूषण-09.11.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री संजय कुमार, वाहन सं0-BR09M-6807 का कहना है कि आवेदनकर्ता पूर्व का परमिट को सरेन्डर किये बिना आवेदन किये हैं जो प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध है। प्राधिकार द्वारा परमिट आवेदन के निर्गत नोटिस के कडिका 21 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि परमिट से आच्छादित वाहन का नया परमिट आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूर्व के परमिट को रद्द कर आवेदनकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3225 भागलपुर रेलवे स्टेशन से बेगूसराय है।
35	BR09M-6805 (28.11.2013) श्री अंकज कुमार, पिता-पारस नाथ सिंह, पता-शाहपुर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया, बलिया ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.08.26 फिटनेश-25.12.26 बीमा-15.11.26 प्रदूषण-12.09.26	अप्राप्त
36	BR09PA-8530 (19.09.2023) श्रीमती बिनीता कुमारी, पति-श्री रंजीत कुमार, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3144, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-18.09.26 फिटनेश-18.09.27 बीमा-27.11.26 प्रदूषण-16.09.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा एक आवेदन समर्पित कर उल्लेख किया गया है कि आवेदनकर्ता द्वारा पूर्व का परमिट सरेन्डर किये बिना बेगूसराय से बखरी मार्ग पर परमिट आवेदन किये हैं।
37	BR08P-5755 (31.08.2025) श्रीमती सुनीता देवी पति-श्री सुधीर कुमार पता-पहसारा, बभनगामा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबेला, नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02	टैक्स-27.08.26 फिटनेश-30.08.27 बीमा-31.08.26 प्रदूषण-30.08.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री पिकेश कुमार सिंह, वाहन सं0-BR09M-3060 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा मार्ग अगुवानी से बेगूसराय पर आवेदन किया गया है। इस वाहन का परमिट दिनांक-10.08.2026 तक सरेन्डर नहीं किया गया है जो कि प्राधिकार के निर्णय का विरुद्ध है। जबकि प्राधिकार का आदेश है कि परमिट सरेन्डर के बाद ही कोई आवेदन कर सकता है जिसका पालन नहीं किया गया है। आवेदनकर्ता जान बूझकर मुझे परेशान करने की नियत से मेरे वाहन सं0-BR09M-3060 के निर्गत परमिट के आगे-आगे प्रस्तावित

		(02 अप 02 डाउन)		समय-सारणी किये हैं जो कि गलत मंशा को उजागर कर रहा है। अगुवानी से बेगूसराय और कबेला से बेगूसराय हर पड़ाव सेम है। सिर्फ मार्ग संख्या भिन्न रहने के कारण मेरे निर्गत समय-सारणी जो कि एक अप एक डाउन है दोनों पाली के आगे-आगे प्रस्तावित समय-सारणी किए हैं। अतः महोदय को अवगत कराना चाहता हूँ कि आवेदनकर्ता सिर्फ समय को इंगेज रखने के ख्याल से दो अप दो डाउन का प्रस्तावित समय-सारणी किए हैं जो अगुवानी से बेगूसराय मार्ग पर कोई दूसरा आवेदक आवेदन नहीं कर सके। इनके द्वारा तंग करने की नियत से हमारे परिचालित गाड़ी सं०-BR09M-3060 के आगे-आगे प्रस्तावित समय-सारणी किए हैं जो निम्न है :- <table><thead><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr></thead><tbody><tr><td>कबेला प्र०</td><td>06:36</td><td>06:38</td></tr><tr><td>नयागोंव प्र०</td><td>06:51</td><td>06:54</td></tr><tr><td>परबत्ता प्र०</td><td>07:15</td><td>07:18</td></tr><tr><td>मड़ैया प्र०</td><td>07:40</td><td>07:45</td></tr><tr><td>जमालपुर प्र०</td><td>08:00</td><td>08:05</td></tr><tr><td>बेगूसराय प्र०</td><td>11:00</td><td>11:02</td></tr><tr><td>बलिया प्र०</td><td>11:46</td><td>11:50</td></tr><tr><td>खगड़िया प्र०</td><td>12:42</td><td>12:46</td></tr><tr><td>मानसी प्र०</td><td>12:58</td><td>13:00</td></tr><tr><td>महेशखूंट प्र०</td><td>13:25</td><td>13:30</td></tr></tbody></table> अतः श्रीमान् से आग्रह है कि वाहन सं०-BR08P-5755 के प्रस्तावित समय-सारणी को बगैर सरेन्डर किए आवेदन किया गया एवं प्रस्तावित समय-सारणी में टकराव पूर्ण होने के कारण इस आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाए। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है।		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	कबेला प्र०	06:36	06:38	नयागोंव प्र०	06:51	06:54	परबत्ता प्र०	07:15	07:18	मड़ैया प्र०	07:40	07:45	जमालपुर प्र०	08:00	08:05	बेगूसराय प्र०	11:00	11:02	बलिया प्र०	11:46	11:50	खगड़िया प्र०	12:42	12:46	मानसी प्र०	12:58	13:00	महेशखूंट प्र०	13:25	13:30
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																																			
कबेला प्र०	06:36	06:38																																			
नयागोंव प्र०	06:51	06:54																																			
परबत्ता प्र०	07:15	07:18																																			
मड़ैया प्र०	07:40	07:45																																			
जमालपुर प्र०	08:00	08:05																																			
बेगूसराय प्र०	11:00	11:02																																			
बलिया प्र०	11:46	11:50																																			
खगड़िया प्र०	12:42	12:46																																			
मानसी प्र०	12:58	13:00																																			
महेशखूंट प्र०	13:25	13:30																																			
38	BR08P-5490 (17.10.2024) श्री संजय कुमार, पिता-देव ना० प्रसाद सिंह, पता-गोरगामां, नयागोंव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागोंव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टेक्स-10.10.26 फिटनेश-16.10.26 बीमा-10.10.26 प्रदूषण-16.10.26	अप्राप्त																																	
39	BR10P-7279 (29.05.2012) श्री संजय कुमार पिता- श्री देव नंदन प्रसाद सिंह पता-गुरगोंवन, नयागोंव, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3200 डाउन, भागलपुर से बेगूसराय। भाया-भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, खरीक, थाना बिहपुर, महेशखूंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टेक्स-27.08.26 फिटनेश-16.05.27 बीमा-27.02.27 प्रदूषण-22.08.26	अप्राप्त																																	
40	BR09P-8511 (04.07.2014) श्री राज कुमार पिता- श्री बब्लू कुमार सिंह पता-शाहपुर, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे०स्टे०। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टेक्स-03.10.26 फिटनेश-04.08.27 बीमा-22.06.27 प्रदूषण-03.12.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजीत कुमार, वाहन सं०-BR09PA-9608 का कहना है कि आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन, आवेदन क्रम सं०-29 पर आवेदित है, जबकि आवेदनकर्ता का वाहन सं०-BR09P-8511 का आवेदन क्रम सं०-35 पर आवेदित है, जिसपर हमें आपत्ति है, आवेदन के क्रम में हम वरीय है, साथ ही साथ ओवरटेक का भी मामला है जो निम्न है :- <table><thead><tr><th></th><th>आवेदनकर्ता</th><th>आपत्तिकर्ता</th></tr></thead><tbody><tr><td>भागलपुर रे०स्टे० प्र०</td><td>15:35</td><td>15:40</td></tr><tr><td>नारायणपुर प्र०</td><td>17:28</td><td>17:25</td></tr><tr><td>महेशखूंट प्र०</td><td>18:17</td><td>18:16</td></tr><tr><td>खगड़िया प्र०</td><td>18:54</td><td>18:56</td></tr><tr><td>बलिया प्र०</td><td>19:40</td><td>19:33</td></tr></tbody></table> दोनों मार्ग समान रहने के कारण आपत्तिकर्ता वाहन सं०-BR09PA-9608 का प्रस्थान भागलपुर रेलवे स्टेशन 15:40 प्रस्थान एवं		आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता	भागलपुर रे०स्टे० प्र०	15:35	15:40	नारायणपुर प्र०	17:28	17:25	महेशखूंट प्र०	18:17	18:16	खगड़िया प्र०	18:54	18:56	बलिया प्र०	19:40	19:33															
	आवेदनकर्ता	आपत्तिकर्ता																																			
भागलपुर रे०स्टे० प्र०	15:35	15:40																																			
नारायणपुर प्र०	17:28	17:25																																			
महेशखूंट प्र०	18:17	18:16																																			
खगड़िया प्र०	18:54	18:56																																			
बलिया प्र०	19:40	19:33																																			

				आवेदनकर्ता वाहन सं०-BR09P-8511 का प्रस्थान भागलपुर रेलवे स्टेशन 15:35 प्रस्थान है, एवं रास्ते में आगे खुलकर पीछे एवं कभी आगे हो जाते हैं जो ओवरटेक का मामला है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जाँच कर उचित निर्णय करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है।
41	BR01PF-4872 (04.07.2015) श्री नीरज कुमार सिंह पिता- श्री नेपो सिंह पता-खम्हर, मु०, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3154 डाउन, बेगूसराय से शकरपुरा। भाया-मंझौल एवं बखरी। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-05.05.27 फिटनेश-21.06.27 बीमा-16.08.26 प्रदूषण-17.06.27	अप्राप्त
42	BR53P-2545 (12.02.2026) श्री भरत यादव, पिता- श्री सीतल यादव, पता-कमासी, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3089, शेखपुरा से लखीसराय। भाया-गिरिहिण्डा चौक, ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-01.11.26 फिटनेश-11.02.28 बीमा-09.02.27 प्रदूषण-11.02.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री जितेन्द्र कुमार, वाहन सं०-BR01PT-2797 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा जो समय-सारणी का प्रस्ताव दिया गया है उसमें मध्य बिन्दु रुकने का समय गिरिहिण्डा चौक में आगमन 08:05 एवं प्रस्थान समय 08:35 है जिसमें 30 मिनट का ठहराव है, जबकि प्राधिकार के निर्णयानुसार मध्य बिन्दु में 05 मिनट से अधिक का ठहराव नहीं देना है। इनसे संशोधित समय-सारणी की मांग की जाय। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3089 शेखपुरा से लखीसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3195 घाट कुशुम्मा से लखीसराय है।
43	BR46P-6321 (15.04.2025) श्री रेवती रमन कुमार, पिता-श्री ओंकार सिंह, पता-मटासी, हलसी, जिला-लखीसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3221, मधरा से खैरा। भाया-बिहारशरीफ, रामचन्द्रपुर, बरबीघा, शेखपुरा, गिरिहिण्डा, चैबारा, सिकन्दरा एवं जमुई। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-11.01.27 फिटनेश-14.04.27 बीमा-11.04.27 प्रदूषण-07.06.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री सौरव कुमार, वाहन सं०-BR21G-8365 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी में मधरा से बिहारशरीफ रामचन्द्रपुर की कुल दूरी 2 किमी० जिसे 18 मिनट में तय कर रहा है। अतः यह गतिशीलता का उल्लंघन है और सभी जगह पर 02 मिनट के आगे चल रहे हैं और यह अगले को तबाह करने के लिए बार-बार आवेदन कर रहे हैं। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3221 मधरा से खैरा है।
44	BR10PB-9302 (19.09.2023) श्री बुलबुल कुमार सिंह, पिता-श्री लड्डू प्रसाद सिंह, पता-गोगरी, जमालपुर अगुवानी, जिला-खगड़िया।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3169, अगुवानी से बेगूसराय। भाया-कबैला, नयागाँव, परबत्ता, मरैया, जमालपुर, महेशखुंट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-18.09.26 फिटनेश-18.04.28 बीमा-26.09.26 प्रदूषण-05.10.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री मनोज कुमार, वाहन सं०-BR06PG-9121 का कहना है कि आवेदनकर्ता का परमिट 07.04.2030 तक वैध है। आवेदनकर्ता परमिट को सरेन्डर किये बिना आवेदन किये हैं जो प्राधिकार के निर्णय कडिका 21 का उल्लंघन है। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3169 अगुवानी से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है।
45	BR43P-1809 (05.04.2013) श्री नीरज कुमार सिंह पिता- श्री नेपो सिंह पता-खम्हर, मु०, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3154 डाउन, बेगूसराय से शकरपुरा। भाया-मंझौल एवं बखरी। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-19.06.27 फिटनेश-27.12.26 बीमा-03.12.26 प्रदूषण-07.12.26	अप्राप्त
46	BR01PT-3099 (29.04.2026) श्री आशीष आनंद, पिता-श्री अरुण कुमार, पता-साउथ चित्रगुप्त नगर, के० बाग, जिला-पटना।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-45, बेगूसराय से बरबीघा। भाया-जीरोमाईल, हथिदाह, मोकामा एवं सरमेरा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-09.10.26 फिटनेश-28.04.28 बीमा-13.03.27 प्रदूषण-28.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री सर्वजीत कुमार, वाहन सं०-BR52P-0959 का कहना है कि आवेदनकर्ता द्वारा दिये गये प्रस्तावित समय-सारणी मेरे वाहन के आवेदित समय-सारणी से निम्न टकराव है :- आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता बेगूसराय प्र० 06:28 06:31 हथिदाह प्र० 09:15 09:17 सरमेरा प्र० 11:03 11:06 दोनों वाहन के समय-सारणी में टकराव है। बेगूसराय से हथिदाह 27 किमी० 26 मिनट तय कर रहे हैं जो गतिशीलता का उल्लंघन है। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 45 बेगूसराय से बरबीघा है।

47	BR09PA8537 (20.09.2023) श्रीमती कुमकुम देवी पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3144, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-18.12.26 फिटनेश-19.09.27 बीमा-26.12.26 प्रदूषण-16.09.26	अप्राप्त
----	--	---	--	----------

कार्यावली संख्या - 03

परमिट प्रतिहस्ताक्षर आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति
48	BR27GB-7074 (06.05.2026) श्री दिनेश कुमार, पिता-श्री मोहन प्रसाद, पता-कन्हाय नगर, सिद्धेश्वरपुर, गोण्डापुर, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-430 डाउन, जमुई से गया। भाया-सिकन्दरा, अलीगंज, आढ़ामोड़, पकड़ीवर्मा, नवादा, हिसुआ एवं वजीरगंज। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-05.08.26 फिटनेश-05.05.28 बीमा-27.04.27 प्रदूषण-05.05.27	अप्राप्त
49	BR46P-4511 (20.11.2018) श्रीमती रंजना सिन्हा, पति-स्व० अनिल कुमार, पता-दिनकर नगर, पी०एन०बी० बैंक के नजदीक, बरबीघा, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-5183, बरबीघा से बिहारशरीफ। भाया-N/A ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-18.08.26 फिटनेश-23.10.27 बीमा-08.10.26 प्रदूषण-18.10.26	अप्राप्त
50	BR21PA-8573 (10.01.2026) श्री सौरभ कुमार, पिता-श्री बिपिन कुमार, पता-माहरथ, काशीचक, बाजीदपुर, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-5426, शेखपुरा जमालपुर से बिहारशरीफ। भाया-शेखपुरा सराय, मायापुर एवं गिरियाक। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-17.10.26 फिटनेश-09.01.28 बीमा-29.10.26 प्रदूषण-नयी वाहन	अप्राप्त
51	BR52P-4103 (27.02.2026) श्री सुनील कुमार, पिता-श्री कपिलदेव ना० सिंह, पता-दिनकर नगर, बरबीघा, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-5183 डाउन, बिहारशरीफ से बरबीघा। भाया-N/A ट्रिप-07 (07 अप 07 डाउन)	टैक्स-17.08.26 फिटनेश-26.02.28 बीमा-08.02.27 प्रदूषण-नयी वाहन	अप्राप्त
52	BR52A-4103 (19.09.2011) श्री सुनील कुमार, पिता-श्री कपिलदेव ना० सिंह, पता-फैजाबाद,, बरबीघा, जिला-शेखपुरा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-716 अप, मधरा से बरबीघा। भाया- बिहारशरीफ। ट्रिप-05 (05 अप 05 डाउन)	टैक्स-18.09.26 फिटनेश-10.12.26 बीमा-31.10.26 प्रदूषण-09.06.27	अप्राप्त
53	BR27P-5820 (09.04.2019) श्री अमरदीप कुमार, पिता-श्री अशोक साव, पता-परहटिया, नीमतला, हिसुआ, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-430 डाउन, जमुई से गया। भाया-सिकन्दरा, अलीगंज, आढ़ामोड़, पकड़ीवर्मा, नवादा, हिसुआ एवं वजीरगंज। ट्रिप-01	टैक्स-24.10.26 फिटनेश-09.09.26 बीमा-03.06.27 प्रदूषण-06.10.26	अप्राप्त

		(01 अप 01 डाउन)		
54	BR51P-2689 (28.04.2026) श्री सुजीत कुमार सिंह, पिता-श्री ललन कुमार सिंह, पता-नॉवगैन दुर्गापुर, संग्रामपुर, जिला-मुंगेर।।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-4665, पंजवारा से जमुई। भाया-ढाकामोड, बांका, भिटिया, रामसरिया मोड, साहेबगंज, बेलहर, संग्रामपुर, गंगटामोड, लक्ष्मीपुर एवं मलेयपुर। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-24.10.26 फिटनेस-09.09.26 बीमा-03.06.27 प्रदूषण-06.10.26	अप्राप्त
55	BR27P-4953 (28.07.2017) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-पतालपुरी मंदिर, न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-1566, नवादा से सिकन्दरा। भाया-पकडीवर्मा एवं अलीगंज। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-27.04.27 फिटनेस-23.09.26 बीमा-17.10.26 प्रदूषण-20.02.27	अप्राप्त
56	BR08P-5756 (31.08.2025) श्रीमती सुनीता देवी, श्री सुधीर कुमार पता-पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-1814, बेगूसराय से दरभंगा। भाया-सिमरिया पुल, बरौनी जीरोमाईल, टेघरा, बछवारा, दलसिंहसराय, मुशरीघरारी, समस्तीपुर, कल्याणपुर, विशनपुर एवं लहेरियासरय। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-27.08.26 फिटनेस-30.08.27 बीमा-31.08.26 प्रदूषण-30.08.26	अप्राप्त
57	BR08P-5753 (31.08.2025) श्रीमती रूपम कुमारी, श्री अमरजीत कुमार पता-पहसारा, बभनगामा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-1813, बेगूसराय से दरभंगा। भाया-बरौनी जीरोमाईल, टेघरा, बछवारा, दलसिंहसराय, मुशरीघरारी, समस्तीपुर, कल्याणपुर, विशनपुर एवं लहेरियासरय। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-27.08.26 फिटनेस-30.08.27 बीमा-31.08.26 प्रदूषण-30.08.26	अप्राप्त

कार्यावली संख्या - 04

प्राप्त परमिट के समय-सारणी में संशोधन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त/अप्राप्त)
58	BR46B-7095 (09.11.2012) श्री निवास कुमार सिंह, पिता-स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढा। भाया-महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-08.08.26 फिटनेस-24.03.27 बीमा-11.12.26 प्रदूषण-25.09.25	➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं०- BR46P-8081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम हैं, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/

				इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री निवास कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 साल 3 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा / आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3172 जमुई रेवले स्टेशन मलेयपुर से आढ़ा है।
59	BR46C-3247 (13.05.2014) श्री सुभाष कुमार सिंह, पिता-स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया-महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-12.11.26 फिटनेस-29.07.27 बीमा-15.09.26 प्रदूषण-23.11.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46P-6297 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/

				महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया
--	--	--	--	--

			जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री सुभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 साल 3 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा / आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
--	--	--	--

60	BR46P-5421 (21.03.2023) श्री प्रभाष कुमार सिंह, पिता-स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह, नियर शिव मंदिर, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया-महिसौदी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-08 (08 अप 08 डाउन)	टैक्स-13.09.26 फिटनेस-24.04.27 बीमा-02.03.27 प्रदूषण-25.01.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46B-5081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है। इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा। उक्त के आलोक में आवेदक श्री प्रभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी। इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है। महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी। आवेदनकर्ता का परमिट 2026 में निर्गत किया गया है 4 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु
----	---	--	--	--

			पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
61	BR46P-5739 (19.01.2024) श्री प्रभाष कुमार सिंह, पिता-स्व० लखन प्रसाद सिंह, पता-हंसाडीह,, जिला-जमुई।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3011, मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा। भाया-महिसौढ़ी चौक, सिकन्दरा, अलीगंज एवं चन्द्रदीप। ट्रिप-06 (06 अप 06 डाउन)	टैक्स-16.10.26 फिटनेस-18.01.28 बीमा-16.01.27 प्रदूषण-28.01.27 ➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46C-6981 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री प्रभाष कुमार सिंह के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के वैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/

				महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2025 में निर्गत किया गया है 1 साल 1 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा / आवेदनकर्ता एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
62	BR27G-4953 (04.10.2012) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-नेपुरा, पार्वती, काशीचक, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3274 डाउन, नवादा 3 नं0 बस स्टैण्ड से महिसौढ़ी चौक जमुई। भाया-पकड़ीवर्मा, आढामोड़, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-03.04.27 फिटनेश-16.02.27 बीमा-15.11.26 प्रदूषण-23.01.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं0-BR46P-6297 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात् नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ्रीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ्रीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बंधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी

			में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 2 साल 8 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। आवेदनकर्ता नवादा स्टैण्ड में संशोधन का प्रस्ताव दिये हैं। नवादा का क्षेत्र मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्ता का संशोधन का प्रस्ताव विधि विरुद्ध है। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3274 डाउन नवादा 3 नं० बस स्टैण्ड से महिसौदीचौक जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
63	BR27RA-4953 (17.04.2026) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3208 डाउन, नवादा से महिसौदी चौक जमुई। भाया-पकड़ीवर्मा, आढ़ामोड़, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-14.10.26 फिटनेश-16.04.28 बीमा-27.03.27 प्रदूषण-16.04.27 ➤ आपत्तिकर्ता श्री राजीव कुमार सिंह, वाहन सं०-BR46B-5081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/

				इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पस्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 2 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा / आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3208 डाउन नवादा से महिसौदीचौक जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढा है।
64	BR52P-6553 (03.04.2025) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3162, नवादा से जमुई। भाया-पकड़ीवर्मा, आढा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-02.04.27 फिटनेस-02.04.27 बीमा-25.03.27 प्रदूषण-22.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं0-BR46P-8081 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा/

				उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आजतक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फीस के अलावे समय संशोधन हेतु फीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 1 साल 2 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। आवेदनकर्ता नवादा स्टैंड में संशोधन का प्रस्ताव दिये हैं। नवादा का क्षेत्र मगध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अन्तर्गत आता है। इस परिस्थिति में आवेदनकर्ता का संशोधन का प्रस्ताव विधि विरुद्ध है। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा/ आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3162 नवादा से जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3172 जमुई रेलवे स्टेशन मलेयपुर से आढ़ा है।
65	BR27GB-4953 (17.04.2026) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-पतालपुरी न्यू एरिया, गोण्डापुर, जिला-नवादा।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3162, नवादा से महिसौड़ी चौक,जमुई। भाया-पकड़ीवर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-14.10.26 फिटनेश-16.04.28 बीमा-27.03.27 प्रदूषण-16.04.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री रंजन कुमार सिंह, वाहन सं0-BR46C-6981 का कहना है कि स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है/ महोदय, परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है/ स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है, नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के

			समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है/ इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है/ उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूंगा/ उक्त के आलोक में आवेदक श्री अविनाश कुमार के द्वारा अपने स्थाई परमिट के समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी/ इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है/ इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ़ीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ़ीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है/ अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं/ उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है/ इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है/ महोदय मैंने अपने नई वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी/ आवेदनकर्ता का परमिट 2023 में निर्गत किया गया है 3 महीना के बाद आवेदनकर्ता संशोधित का आवेदन किये हैं। मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्ता आपत्तिकर्ता को नुकसान पहुँचाने की नियत से संशोधित आवेदन दिये हैं। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय/ उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा / आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3162 नवादा से जमुई है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3011 मलेयपुर स्टेशन से आढ़ा है।
--	--	--	---

66	BR09PA-9164 (06.06.2024) श्री अजीत कुमार पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-05.06.26 फिटनेश-17.06.28 बीमा-28.04.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त
67	BR08P-5934 (24.02.2026) श्री सुनीता देवी (U/LA B.S.R.T.C.) पति-श्री सुधीर कुमार, पता-पहसारा, बभनगामां, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 डाउन, बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया-बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल एवं भागलपुर जीरोमाईल। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-16.08.26 फिटनेश-23.02.28 बीमा-16.02.27 प्रदूषण-23.02.27	अप्राप्त
68	BR09PA-9544 (06.11.2024) श्री अमरजीत कुमार पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, बभनगॉवा, नॉवकोठी, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3225 भागलपुर रे0स्टे0 से बेगूसराय। भाया-भागलपुर डीपो, भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया एवं बलिया। ट्रिप-02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स-29.10.26 फिटनेश-05.11.26 बीमा-18.11.26 प्रदूषण-09.11.26	➤ आपत्तिकर्ता श्री पिकेश कुमार सिंह, वाहन सं0-BR08P-5839 का कहना है कि आवेदनकर्ता श्री अमरजीत कुमार, वाहन सं0-BR09PA-9544 को दिनांक-29.04.2026 की बैठक की कार्यवली 06 क्रमांक-42 में प्राधिकार के निर्णयानुसार पूर्व से निर्गत परमिट के समय-सारणी दो अप दो डाउन में एक अप एक डाउन का आदेश दिया गया था जो कि अभी तक एक अप एक डाउन का ट्रिप कटौती नहीं हुआ है। आवेदनकर्ता श्री अमरजीत कुमार ने प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन करते हुए समय-सारणी का संशोधन के लिए आवेदन किए हैं जो कि प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध है। जब तक ट्रिप कटौती कर समय-सारणी का प्रकाशन कार्यालय द्वारा नहीं होता है तब तक परमिट के समय-सारणी में संशोधन करना प्राधिकार के निर्णय का उल्लंघन होगा। अतः महोदय से अनुरोध है कि इस आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। प्राधिकार के निर्णय का छायाप्रति संलग्न किया जा रहा है। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3225 डाउन बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3170 कबेला से बेगूसराय है।
69	BR09PA-8164 (06.04.2023) श्रीमती कुमकुम देवी, पति-श्री अजीत कुमार पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3144, बेगूसराय से बखरी। भाया-मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-04.10.26 फिटनेश-05.04.27 बीमा-08.04.27 प्रदूषण-11.06.27	➤ आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह, वाहन सं0-BR06PC-9933 का कहना है कि विषयांकित मामले में आवेदक श्रीमती कुमकुम देवी ने स्थाई परमिट के समय संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसपर मुझे आपत्ति है। महोदय परिवहन प्राधिकार मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति के तहत बैठक में परमिट स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। स्थाई परमिट 5 वर्ष के लिए होता है और परमिट की अवधि समाप्ति पर पुनः प्राधिकार के द्वारा उसे अगले 5 साल के लिए नवीकृत किया जाता है जो सामान्य नियम है। नई परमिट की स्वीकृति 5 साल के लिए और परमिट नवीकरण भी अगले 5 साल के लिए होता है अर्थात नवीकरण भी पुनः नई परमिट ही होता है और प्राधिकार को परमिट स्वीकृति या नवीकरण के समय ही किसी समय सारिणी में संशोधन करने का अधिकार अधिनियम और नियमावली में प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में एक बार परमिट स्वीकृत और निर्गत होने के बाद समय सारिणी में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव सिर्फ और सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के द्वारा मेसर्स राजपुत ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम नंद किशोर प्रसाद एवं अन्य AIR 1973 Patna page-373, के केश में न्याय निर्णय पारित किया गया है जिसमें कहा गया है की क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को स्थाई समय समय सारिणी में बदलाव करने की कोई शक्ति नहीं है। इसे सिर्फ नवीकरण के समय ही किया जा सकता है। उक्त न्याय निर्णय की प्रति बैठक के समय प्रस्तुत करूँगा। उक्त के आलोक में आवेदक श्रीमती कुमकुम देवी के द्वारा अपने

			स्थाई परमिट जिसे इस प्राधिकार के द्वारा पिछले बैठक में स्वीकृत हुआ है और अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है के द्वारा दाखिल समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव गलत है और महोदय उक्त न्याय निर्णय के आलोक में अस्वीकृत करने की कृपा की जाय क्योंकि उक्त संशोधन माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित न्याय निर्णय के विपरीत होगा जो न्यायालय की अवमानना होगी। इस सम्बन्ध में जहाँ तक मेरी जानकारी है उक्त निर्णय के अलावे पुनः कोई अन्य निर्णय आज तक न्यायालय के द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कहना है की राज्य सरकार ने विहार मोटर वाहन नियमावली के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए परमिट फ्रीस के अलावे समय संशोधन हेतु फ्रीस निर्धारित किया है जिसका स्पष्ट सा मतलब है की अगर किसी वाहन स्वामी को अपने निर्गत स्थाई परमिट के समय सारिणी में सुधार करवाना है तो उसे नवीकरण के समय ही निर्धारित संशोधन शुल्क जमा कर किया जा सकता है और परमिट के बैधता अवधि में किसी भी तरह से समय संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर परमिटधारी को उक्त समय सारिणी अलाभकारी महसूस हो तो वे परमिट प्रत्यर्पण कर नया परमिट समय सारिणी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। उक्त प्रावधानों की गलत व्याख्या कर स्थाई परमिट के समय सारिणी में संशोधन मात्र मार्ग में नए परमिट प्राप्त करने हेतु दाखिल समय सारिणी को अलाभकारी बनाने हेतु लगातार कानूनविपरीत किया जा रहा है और अगर एक बार गलती से कोई स्थायी परमिट के समय संशोधन हो गया तो उसे पुनः बार बार कानून विपरीत नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में भी माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है की की गयी गलती को लगातार दोहराई नहीं जा सकती है। महोदय मैंने अपने वाहन के परमिट आवेदन दाखिल किया है और प्राधिकार के समान मार्ग पर आपत्ति के निर्णय के आलोक में आवेदक के द्वारा वर्तमान प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उन्हें पता है की आपत्ति सिर्फ समान मार्ग संख्या वाले परमिटधारी या आवेदक की मान्य होगी। उक्त के आलोक में महोदय से निवेदन है की प्रस्तावित समय सारिणी संशोधन का आवेदन को अस्वीकार करने की कृपा की जाय क्योंकि आवेदक के द्वारा जानबूझ कर उक्त प्रस्ताव दाखिल किया गया है ताकि मेरे आवेदित परमिट और निर्गत परमिट पर वाहन परिचालन नहीं हो सके। मैंने पूर्व में भी उक्त मार्ग पर वाहन स्वामी के द्वारा 6 से 8 खेपो का परमिट प्राप्त किया गया है जिसपर वाहन का परिचालन उक्त के अनुरूप नहीं होता है जिसकी जाँच हेतु मैंने आवेदन भी दाखिल किया है परंतु कोई निर्णय आज तक नहीं हो सका है। उक्त के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आवेदनकर्ता का मार्ग संख्या 3144 बेगूसराय से बखरी है तथा आपत्तिकर्ता का मार्ग संख्या 3181 बेगूसराय से बखरी है।	
70	BR09PA-8534 (19.09.2023) श्री बिनीत कुमार, पिता-रामनंदन सिंह, पता-पहसारा, जिला-बेगूसराय।	प्रकाशन-08.08.2026 अधिसूचित मार्ग संख्या-3154 डाउन, बेगूसराय से शकरपुरा। भाया-मंझौल एवं बखरी। ट्रिप-04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स-04.10.26 फिटनेश-05.04.27 बीमा-08.04.27 प्रदूषण-11.06.27	अप्राप्त

कार्यावली संख्या - 05

परमिट नवीकरण आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति
71	BR52A-5613 (11.06.2013) श्रीमती निर्मला देवी, पति-श्री अविनाश कुमार, पता-न्यू एरिया पतालपुरी मंदिर गोण्डापुर, जिला-नवादा।	अधिसूचित मार्ग संख्या-269, मुंगेर से नवादा, भाया-धरहारा, मेदनीचौकी, सूर्यगढ़ा, विद्यापीठ, लखीसराय, बाईपास मोड़, लखीसराय, हलसी, सिकन्दरा, अलीगंज आढ़ामोड़ एवं पकड़ीवर्मा। ट्रिप-01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स-27.05.27 फिटनेश-10.01.27 बीमा-16.06.27 प्रदूषण-09.06.27	

72	BR46B-7776 (05.09.2012) श्री अविनाश कुमार, पिता-श्री बच्चु सिंह, पता-नेपुरा, पार्वती, काशीचक, जिला-नवादा।	अधिसूचित मार्ग संख्या-3162, नवादा से महिसौढ़ी चौक, जमुई। भाया-पकडीवर्मा, आढ़ा, अलीगंज एवं सिकन्दरा। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-04.03.27 फिटनेश-24.03.27 बीमा-15.03.27 प्रदूषण-18.03.27	
73	BR09R-1044 (08.09.2014) श्री धर्मबीर सहनी, पिता-श्री सुधीर सहनी, पता-बलुआही, कोशी कॉलेज, खगड़िया, जिला-खगड़िया।	अधिसूचित मार्ग संख्या-3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर। भाया-महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-07.09.26 फिटनेश-18.03.27 बीमा-18.09.26 प्रदूषण-27.01.27	
74	BR51P-1445 (06.01.2020) श्री अरुण कुमार यादव, पिता-श्री खजांची यादव, पता-समीर नगर, कोशी कॉलेज, चित्रगुप्त नगर, जिला-खगड़िया।	अधिसूचित मार्ग संख्या-3045 डाउन, खगड़िया से आलमनगर। भाया-महेशखूँट, उसराहा (इसराहा), सोनवर्षाघाट एवं बेलदौर। ट्रिप-03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स-23.09.26 फिटनेश-03.04.28 बीमा-13.02.27 प्रदूषण-22.09.26	

कार्यावली संख्या - 06

स्टॉफ बस परमिट आवेदन

क्र० सं०	वाहन सं०/निबंधन की तिथि, आवेदक का नाम एवं पता	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति
75	BR21P-6773 (27.03.2020) श्री प्रिंस पी० जे०, पिता-पंथा प्लालखल जोसेफ, पता-नारायणपुर, मानपुर, बरबीघा, जिला-शेखपुरा।	संत मेरिस स्कूल बरबीघा, शेखपुरा	टैक्स-25.09.26 फिटनेश-08.05.28 बीमा-26.04.27 प्रदूषण-07.10.26	
76	BR01PQ-7774 (29.01.2018) श्री प्रिंस पी० जे०, पिता-पंथा प्लालखल जोसेफ, पता-नारायणपुर, बरबीघा, जिला-शेखपुरा।	संत मेरिस स्कूल बरबीघा, शेखपुरा	टैक्स-15.09.26 फिटनेश-08.05.27 बीमा-30.04.27 प्रदूषण-07.10.26	


 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
 मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

ज्ञापांक - सा०-०१-०१/२०२६/परि०.....५१५....., दिनांक१७/०८...../२०२६
 प्रतिलिपि - श्री नीरज कुमार, आई०टी० सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर
 को प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


 संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।